

एसआरजी सिक्यूरिटिज् फाईनेन्स लिमिटेड,
322,एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, उदयपुर (राज.)
फोन : 0294-2412609

अति महत्वपूर्ण नियम व शर्तें प्रतिबंध पत्र की
(ऋण के लिये)

एसआरजी सिक्यूरिटिज् फाईनेन्स लिमिटेड, उदयपुर SRGSFL (ऋणदाता) और श्री

..... (ऋणकर्ता/ऋणी) के बीच हुए अनुबंध के मुख्य नियम व शर्तें :

1- ऋण :

- ए- ऋण राशि
- बी- ऋण का प्रयोजन :
- सी- ब्याज दर :
- (दर या मासिक किश्त में बदलाव करने पर SRGSFL ऋणकर्ता को पत्र द्वारा 15 दिन पूर्व अग्रिम सूचना देगा)
- डी- अवधि : माह
- ई- मासिक किश्त :
- एफ- भुगतान की तिथि पर माह :

2- शुल्क तथा अन्य प्रभार :

- ए- चैक अस्वीकृत होने पर / देरी से भुगतान पर प्रभार : 500/- रु. प्रति चैक
- बी- विलम्बित ई.एम.आई. भुगतान प्रभार 3 प्रतिशत प्रति माह
- सी- समय पूर्व प्रभार - 3 प्रतिशत नियमानुसार
- डी- दस्तावेज पुनः प्राप्ति व विवरणी प्रभार - Nil

3- ऋण के लिये प्रतिभूति :-

- ए- बंधक सम्पत्ति का पता :
- बी- गारंटर का नाम :
- सी- अन्य :

4- सम्पत्ति/ऋणकर्ता का बीमा : सम्पत्ति का बीमा ऋणी द्वारा करवाया जायेगा तथा उसकी प्रति SRGSFL को जमा करायेगा ।

5- ऋण संवितरण की शर्तें :- सभी जरूरी कागजात तथा अनुबंध करने के बाद

6- वसूली प्रक्रिया :

ऋणकर्ता का चैक अस्वीकृत होने पर SRGSFL ऋणकर्ता को फोन पर सूचना देकर के मासिक किश्त व चैक अस्वीकृति के प्रभार सहित जमा करवाने की तारीख की जानकारी देंगे । सात दिन में जमा नहीं करवाने पर उचित कानूनी कार्यवाही SRGSFL के नियमानुसार की जावेगी ।

7- उपभोक्ता सेवार्य :-

- 1- कार्यालय में मिलने का समय : प्रातः 10.30 से सांय 5.00 बजे तक (अवकाश को छोडकर)
- 2- लेखां विवरणी प्राप्त करने का समय : 24 घण्टे
- 3- दस्तावेजो की फोटो प्रति : 48 घण्टे में
- 4- मूल दस्तावेजो की वापसी : 72 घण्टे में

8- शिकायत निवारण :

ऋणकर्ता को शिकायत होने पर वह कार्यालय में सम्पर्क कर लिखित या मौखिक शिकायत दर्ज करवा सकता है। या इमेल srcgsecurities@gmail.com पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है और अगर वह उत्तर से संतुष्ट न हो या उत्तर प्राप्त नहीं हो तो शिकायतकर्ता चाहे तो शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, गैर बैंकिंग पर्यवक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, रामबाग सर्किल, टॉक रोड, जयपुर - 302052 से सम्पर्क कर सकता है

एतद्वारा यह सहनति हुई कि ऋण के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये उल्लिखित पक्षों को उनके द्वारा निष्पादित/निष्पादित किये जाने वाले ऋण तथा अन्य प्रतिभूति दस्तावेजों को संदर्भित और आश्रित होना होगा ।

उपर्युक्त नियमों एवं शर्तों को ऋणकर्ताओं/ऋणी ने पढ व समझ लिया है तथा इसकी नियमों एवं शर्तों को अनुलिपि प्राप्त कर ली है।

(ऋणकर्ताओं/ऋणी के हस्ताक्षर
या अंगुठा निशान)

वास्ते एसआरजी सिक्यूरिटीज
फाइनेन्स लिमिटेड

(प्राधिकृत अधिकारी)